

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, अरवल के ज्ञापांक(कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 04 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 400000/- (चार लाख रूपए) एवं 03 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 90000/- (नब्बे हजार रूपए) अर्थात् कुल ₹ 490000/- (चार लाख नब्बे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 16 दिनांक 19.01.16 खाता संख्या 70870100050826 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGBO6, 368901000001018 आई.एफ.एस.सी IOBA0003689, 368901000001004 आई.एफ.एस.सी IOBA0003689, 50280000880 आई.एफ.एस.सी ALLA0213319, 34920187717 आई.एफ.एस.सी SBIN0014322, 74761700008635 आई.एफ.एस.सी PUNBOMBGBO6 एवं 364502010026136 आई.एफ.एस.सी UBIN0536458 में राशि अंतरित किया गया था, परंतु आश्रितों/लाभार्थियों के खाता में त्रुटिपूर्ण बैंक खाता विवरणी रहने के कारण के कारण राशि का अंतरण नहीं हो सका।

पूर्व में निर्गत आदेश ज्ञापांक 16 दिनांक 19.01.16 के क्रमांक 7, 8, 9, 12, 22, 23 एवं 33 को रद्द किया जाता है।

श्रम अधीक्षक, अरवल के पत्रांक 176 दिनांक 02.08.18 के द्वारा प्राप्त बैंक खाता विवरणी के अनुसार तथा मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि का विमुक्ति का आदेश दिया जाता है, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, पिता/पति का नाम/उम्र, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिलाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/ दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विश्वकर्मा कुमार, श्री सूर्यदेव मिस्त्री, सामान्य	श्रीमती शान्ति देवी(पत्नी)	197/12.12.15	ग्रा०-मुरादपुर हुजरा, पो०-बैदराबाद, अरवल	70870100050826	MBGB बैदराबाद, PUNBOMBGBO6	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, बर्द्धगिरी
2	स्व० रामबाबु पासवान, श्री देव वचन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती पिकी देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-हसनपुर टॉडी, पो०-हसनपुर, अरवल	3689010001018	इंडियन ओवरसीज बैंक, अरवल, IOBA0003689	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, ट्रैक्टर चालक
3	स्व० कपिल कुमार, श्री बैजनाथ सिंह, सामान्य	श्रीमती पुनिता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-कंसोपुर, पो०-बैदराबाद, अरवल	3689010001004	इंडियन ओवरसीज बैंक, अरवल, IOBA0003689	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर
4	स्व० राजीव कुमार सिंह, स्व० रामानन्द सिंह, सामान्य	श्रीमती विमला देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-असलानपुर, पो०-सकरी चौकी, अरवल	50280000880	इलाहाबाद बैंक, अहियारपुर, अरवल, ALLA0213319	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर
5	स्व० बौस विन्द, श्री माधो विन्द, सामान्य	श्रीमती चिन्ता देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-महरिया, पो०-किंजर, परियारी, करपी, अरवल	34920187717	SBI, किंजर, SBIN0014322	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, राजमजदूर
6	स्व० ममता देवी, अनु० जाति	श्री सत्येन्द्र माँझी(पति)	तदैव	ग्रा०-बारह माईल, पो०-परियारी, किंजर, करपी, अरवल	74761700008635	MBGB, परियारी किंजर, PUNBOMBGBO6	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, रेजा मजदूर
7	स्व० श्रवण कुमार, श्री छोटन पासवान, अनु० जाति	श्रीमती फुलवा देवी(पत्नी)	तदैव	ग्रा०-नयनुसुख विगहा खेमकरण सराय, कुर्था, अरवल	364502010026136	UBI, कुर्था, UBIN0536458	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषक मजदूर

कुल :- ₹ 490000/-

(चार लाख नब्बे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति व बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि(कॉलम नं0 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं0 3 में अंकित आश्रि के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव, सभापति-कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं0 श्रम क0 सं0-10/2015 के पृष्ठ-66/टि0 पर अनुमोदन प्राप्त है।

5. पूर्व में निर्गत विमुक्ति आदेश ज्ञापांक 16 दिनांक 19.01.16 के क्रमांक 7, 8, 9, 12, 22, 23 एवं 3 को रद्द करते हुए नया विमुक्ति आदेश निर्गत किया जाता है।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-10/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रि को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं0 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित कर सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-
(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


ह0/-
(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


ह0/-
(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।


ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-10/2015-515

पटना, दिनांक :- 01-11-18

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं व लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 700000/- (सात लाख रूपए)का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण कर सुनिश्चित करेंगे/ श्रम अधीक्षक, अरवल के पत्रांक 176 दिनांक 02.08.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित जिला पदाधिकारी, अरवल को उनके पत्रांक के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभाग वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी


(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी


(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।